बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(अभियंत्रण कोषांग)
विकास भवन, नया सचिवालय, बिहार, पटना।

दिनांक–11.03.2025 को सम्पन्न पुर्नसमीक्षा हेतु निविदा मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

सारण परिक्षेत्र अन्तर्गत Construction of 4 Nos of Block Level Fish Market at Semaria of Rivilganj block in Saran District and at Barhima of Sidhwalia block , at Uparchhanta of Manjha block, at Ekderwa of Gopalganj block in Gopalganj District (Tender Id-76811) कार्य में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–6228(S) दिनांक–30.12.2021 के प्रचलित प्रावधान के अनुसार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना का आदेश सह–पठित ज्ञापांक–3523, दिनांक–26.07.2024 एवं पत्रांक–964, दिनांक–30.07.2024 के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपथिति :–

(i) श्री ब्रज कुमार ओझा, मुख्य अभियन्ता, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना। – **अध्यक्ष**

(ii) श्री रामानन्द महतो, अधीक्षण अभियन्ता, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना। – **सदस्य**

(iii) श्री अनिल कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना। – **सदस्य**

2. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा प्रश्नगत कार्य की निष्पादित निविदा की पुर्नसमीक्षा

सारण परिक्षेत्र अन्तर्गत Construction of 4 Nos of Block Level Fish Market at Semaria of Rivilganj block in Saran District and at Barhima of Sidhwalia block , at Uparchhanta of Manjha block, at Ekderwa of Gopalganj block in Gopalganj District (Tender Id-76811) कार्य के लिए NIT सं०–AFRD/अभि० को०/F2/09/2024 द्वारा आमंत्रित निविदा में दिनांक–22.01.2025 को सम्पन्न बैठक में न्यूनतम निविदाकार Shree Madhu Sudan Singh, Ward No-06, Vijay Ray Ka Tola, Samaria, Rivilganj, Saran-841305 के पक्ष में उनके निविदित दर (BOQ से 16.23% कम) पर कार्य आवंटन के निर्णय के आलोक में मुख्य अभियंता कार्यालय पत्रांक–45, दिनांक–24.01.2025 द्वारा उनके पक्ष में परिमाण विपत्र की राशि से 16.23% कम और कुल राशि 82,06,750.00 (बेरासी लाख छः हजार सात सौ पचास रुपये) मात्र के लिए कतिपय शर्त्तों के साथ निविदा का स्वीकृत्यादेश प्रदान किया गया था। स्वीकृत्यादेश के कंडिका 6 पर निविदा के साथ निविदाकार द्वारा uploaded कागजातों की मूल अभिलेखों के साथ मिलान एवं जाँचोपरान्त एकरारनामा करने हेतु निदेशित किया गया था।

तदोपरान्त अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पत्रांक–46, दिनांक–24.01.2025 द्वारा कार्यपालक अभियंता, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्वीकृत्यादेश के शर्त्तों का अनुपालन करते हुए एकरारनामा करने का निदेश दिया गया। इसके अनुपालन में कार्यपालक अभियंता के पत्रांक–48, दिनांक–24.01.2025 द्वारा Shree Madhu Sudan Singh को निविदा शर्त्तों के आलोक में निर्गत LOA में आवश्यक Security Deposite एवं Additional Performance Guarantee जमा करते हुए पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अंदर सभी मूल अभिलेखों शपथ–पत्र एवं प्रमाण पत्रों के साथ एकरारनामा हेतु प्रस्तुत होने का निदेश दिया गया। इस पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि अभिलेखीय सत्यापन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा किया जाएगा।

निर्धारित अवधि के अंदर अभिलेखीय सत्यापन एवं एकरारनामा हेतु प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता का पत्रांक–68, दिनांक–04.02.2025 से संवेदक को स्मारित करते हुए तीन दिनों के अंदर सभी मूल एवं Security Deposit के साथ एकरारनामा करने हेतु

निदेशित किया गया। परन्तु संवेदक द्वारा निविदा में uploaded कागजात एवं अनुभव प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पत्रांक–80, दिनांक–17.02.2025 द्वारा संवेदक को पुनः स्मारित करते हुए दो दिनों के अन्दर मूल अनुभव प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया और NIT शर्त्तों के प्रतिकूल अनावश्यक विलम्ब किये जाने के लिए Shree Madhu Sudan Singh से दो दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। संवेदक द्वारा अपने पत्रांक–शून्य, दिनांक–19.02.2025 द्वारा मनमाने ढंग से एक सप्ताह के अंदर सभी कागजातों के साथ एकरारनामा करने के लिए उपस्थित होने का एक अनुरोध पत्र क्षमा–याचना के साथ समर्पित किया गया, परन्तु अनुभव प्रमाण–पत्र की मूल प्रति समर्पित नहीं किया गया।

संवेदक द्वारा मूल अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में अकारण विलंब के मद्देनजर जाली अथवा गलत प्रमाण–पत्र होने की संभावना को देखते हुए कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को कार्यालय पत्रांक–87, दिनांक–24.02.2025 द्वारा कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र के सत्यापन हेतु रजिस्ट्रड डाक एवं कार्यपालक अभियंता के E-mail Id- eelaeomahnar@gmail.com पर मेल से भेजा गया।

दिनांक–04.03.2025 को इस कार्यालय द्वारा भेजे गए E-mail Id से भिन्न एक अज्ञात E-mail Id-eelaeomahnar01@gmail.com से पत्रांक–718, दिनांक–04.03.2025 द्वारा कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र, महनार का सत्यापन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ परन्तु अज्ञात पृथक E-mail Id से प्राप्त तथाकथित सत्यापन अनुभव प्रमाण–पत्र के त्रुटिपूर्ण/जाली होने की संभावना को मजबूती प्रदान किया। तद्आलोक में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल–02, महनार, वैशाली के दूरभाष (मोबाईल नं०–8294170080) पर संपर्क किया गया जिस क्रम में उनके द्वारा किसी भी तरह का सत्यापन प्रतिवेदन मेल से भेजने को अस्वीकार किया गया और दिनांक–07.03.2025 को कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल–02, महनार, वैशाली के दूरभाष (मोबाईल नं०–8294170080) के मोबाईल पर whatsapp के माध्यम से संवेदक द्वारा निविदा के साथ अपलोडेड अनुभव प्रमाण–पत्रों को उनके कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किये जाने की सम्पुष्टि अपने पत्रांक–778, दिनांक–07.03.2025 द्वारा किया गया अर्थात् Shree Madhu Sudan Singh, रिविलगंज, छपरा द्वारा uploaded अनुभव प्रमाण–पत्र की असत्यता स्थापित होती है।

उपरोक्त विस्तृत वर्णित स्वतः स्पष्ट तथ्यात्मक बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय संसूचित किया जाता है :–

3.निर्णयः–

(i) NIT की कंडिका–16(क) के अनुसार शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण–पत्र के रूप में गलत या गुमराह करने वाले कागजात/दस्तावेज समर्पित करने वाले संवेदक की निविदा मान्य नहीं होगी। तद्आलोक में संवेदक Shree Madhu Sudan Singh द्वारा गलत एवं असत्य अनुभव प्रमाण–पत्र प्रयुक्त कर समर्पित किये गये निविदा को अमान्य किया जाता है और Shree Madhu Sudan Singh को प्रदत्त इस कार्यावंटन आदेश एवं निविदा स्वीकृत्यादेश को तत्काल प्रभाव से रद्द एवं निरस्त करते हुए प्रश्नगत निर्माण कार्य की पुनर्निविदा आमंत्रण किया जाय।

(ii) NIT की कंडिका–19(घ) के आलोक में Shree Madhu Sudan Singh निविदाकार के कागजात नकली/जाली पाये जाने के फलस्वरूप बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका–11(क)(vii) के अनुसार निविदा प्राप्त करने के लिए गलत कागजात समर्पित करने के लिए उनके निबंधन को निलंबित

एवं काली सूची में डालने हेतु प्रशासी विभाग को अनुशंसा करते हुए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने में तत्काल प्रभाव से वंचित (Debar) किया जाय।

(iii) अनुभव प्रमाण–पत्र के गलत एवं जाली कागजात प्रयुक्त कर निविदा के लिए पात्रता/योग्यता प्रस्तुत करना निविदा आमंत्रण के स्थापित प्रावधान का उल्लंघन है, तद्आलोक में Shree Madhu Sudan Singh द्वारा प्रश्नगत निविदित कार्य में प्रयुक्त अग्रधन की राशि को तत्काल प्रभाव से जब्त किया जाय। साथ ही गलत शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाय।

ह०/–
(अनिल कुमार)
सदस्य
कार्यपालक अभियन्ता

ह०/–
(रामानन्द महतो)
सदस्य
अधीक्षण अभियन्ता

ह०/–
(ब्रज कुमार ओझा)
अध्यक्ष
मुख्य अभियन्ता,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक....................... **पटना–15** **दिनांक–............................/2025.**

प्रतिलिपिः– Shree Madhu Sudan Singh, Ward No-06, Vijay Ray Ka Tola, Samaria, Rivilganj, Saran-841305 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियन्ता
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक....................... **पटना–15** **दिनांक–............................/2025.**

प्रतिलिपिः– निदेशक (मत्स्य), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक....................... **पटना–15** **दिनांक–............................/2025.**

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक....94.... **पटना–15** **दिनांक–**....12.03..../**2025.**

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/03/2025
मुख्य अभियन्ता